अंचल कार्यालय फतेहपुर

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

राजस्व विविध वाद सं0 - 01/21-22

01/01/2022 अभिलेख उपस्थापित।

अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के राजस्व न्यायालय का बन्दोवस्ती वाद सं0– 2021–22 का ऑनलाईन आवेदन पत्र (1) श्री कामदेव मण्डल पिता– हराधन मण्डल (2) साहेब सिंह मौजा–चौकुन्दा एवं सरसबाद बनाम् 16/– आना रैयत मौजा– चौकुन्दा में SPT Act 1949 की धारा 28 के अन्तर्गत पुरातन पतित भूमि का बन्दोवस्ती हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें।

अभिलेख दिनांक 05.01.22 को उपस्थापित करें।

लेखापित।

अंचल अधिकारी
फतेहपुर

01/01/22
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

05/01/22 अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। श्री कामदेव मण्डल एवं श्री साहेब सिंह के द्वारा मौजा–चौकुन्दा के अनावादी खाता सं0– 65 का दाग सं0–208 कुल रकवा– 28.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित भूमि गत् सर्वे खतियान में दर्ज भूमि का अंश रकवा–66 डिसमिल किस्म पुरातन पतित्त भूमि का बन्दोवस्ती कराने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र में पुरातन पतित भूमि से संबंधित एवं जमाबन्दी भूमि से संबंधित किसी प्रकार का राजस्व कागजात एवं वंशावली प्रमाण संलग्न नहीं है। आवेदक के आधार की छायाप्रति एवं पुरातन पतित भूमि का ट्रेश नक्शा की छायाप्रति संलग्न है। आवेदक को नोटिश निर्गत कर मौजा–चौकुन्दा के अनावादी खाता सं0– 65 का पुरातन पतित भूमि से संबंधित राजस्व एवं जमाबन्दी भूमि से संबंधित कागजात एव वंशावली प्रमाण पत्र की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 29.01.22 को उपस्थापित करें।

लेखापित।

अंचल अधिकारी
फतेहपुर

05/01/22
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

29/01/22	अभिलेख उपस्थापित।
	इस कार्यालय के नोटिश ज्ञापांक–42, 43/रा0, दिनांक 05.01.2022 के द्वारा नोटिश निर्गत किया गया। आवेदक श्री कामदेव मण्डल को हस्तगत कराया गया। आवेदक के द्वारा निर्धारित तिथि तक मौजा–चौकुन्दा के अनावादी खाता सं0– 65 का पुरातन पतित भूमि से संबंधित राजस्व कागजात एवं वंशावली प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। मौजा–चौकुन्दा का जमाबन्दी भूमि से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।
	अतः आवेदक के द्वारा उक्त राजस्व कागजात एवं वंशावली जमा नही किये जाने एवं उक्त वाद में अभिरूचि नहीं लेने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
	अंचल अधिकारी 29/01/22 अंचल अधिकारी 29/01/22

अंचल कार्यालय, फतेहपुर

नोटिस

ज्ञापांक ......42....../रा0 **दिनांक** ..05/01/2022

प्रेषित,

श्री कामदेव मण्डल

पिता–हराधन मण्डल

मौजा– चौकुन्दा

थाना– फतेहपुर

बजरिय नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मौजा–चौकुन्दा के अनावादी खाता सं0–65 के दाग सं0–208 का कुल रकवा–28.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित भूमि सर्वे खतियान में दर्ज भूमि में से 0.66 ए0 भूमि का बन्दोबस्ती करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ऑनलाईन आवेदन के साथ किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं है।

अतः श्री मण्डल मौजा–चौकुन्दा को निदेश दिया जाता है कि उक्त अनावादी खाता एवं मौजा–चौकुन्दा के जमाबन्दी कागजात एवं वंशावली से संबंधित राजस्व कागजात नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जमा करना सुनिश्चित की जाय।

इसे अति आवश्यक समझें।

05/01/2022
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

कामदेव मंडल

05/01/22

Digitally signed by PANKAJ KUMAR
Date: 2022.10.10 18:15:49 +05:30
Location: 192.168.100.100